कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 25.01.2024

विषय:- किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी बाल अपचारी थाना चोलापुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा **"आपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 189/2023 धारा 366/366 भादवि से सम्बन्धित आरोपी बाल अपचारी को आज दिनांक- 25.01.2025 को समय करीब 13.11 बजे हरिबल्लमपुर रिंग रोड के पास से थाना चोलापुर द्वारा हिरासत पुलिस में लेते हुए अपहृता/पीडिता को सकुशल बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 03.05.2023 को वादी मुकदमा ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री को विपक्षी द्वारा शादी का झाँसा देकर बहला फुसलाकर कही भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना चोलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरेन्द्र तिवारी के द्वारा सम्पादित की जा रही।

बरामदगी का विवरण - पीड़िता/अपहृता उम्र करीब 16 वर्ष।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01 नफर बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-
ग्राम हरिबल्लमपुर रिंग रोड़ पर थाना चोलापुर, दिनांक 25.01.2025 समय 13.11 बजे।

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0- 189/2023 धारा 363/366 भादवि थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
उ.नि. धीरेन्द्र तिवारी, हे.का. रुबेश सिंह, महिला आरक्षी सुनीता कुमारी थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।